राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	474/2021, 482/2021 गणपतलाल बनाम रामनिवास हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पो. अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक ही वाद में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 474/2021 एवं 482/2021 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस दोनों पत्रावलीयो पर सुनी गयी। पत्रावलीयां अधिवक्ता रेस्पो. को उपस्थित होकर मौखिक/लिखित बहस हेतु दिनांक 05/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
05/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पो. अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 12/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
12/02/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि छोटा देवी पत्नी सीताराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 17/10/2006 पारित करते हुये नायब तहसीलदार कोटखावदा को कमिश्नर नियुक्त करते हुये विवादित भूमि खसरा नम्बर 959, 960, 961, 962 कुल किता 04 रकबा 6.13 हैक्टेयर वाके ग्राम हरिनारायणपुरा तहसील चाकसू का तकासमा पक्षकारान के मध्य रिकार्डनुसार मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 04/04/2007 पारित कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 17/10/2006 के विरुद्ध अपील संख्या 482/2021 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 04/04/2007 के विरुद्ध अपील संख्या 474/2021 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी की ईकजाई मौखिक बहस दोनों अपीलों पर सुनी गयी एवं रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। चूँकि दोनों अपीले समान प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे अपीलार्थी द्वारा इकजाई रूप से बहस की गयी है। अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

गणपतलाल बनाम रामनिवास

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावलीयां मय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्रीयो का अवलोकन किये जाने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से किया गया विभाजन विधिसम्मत प्रतीत होता है। विधि अनुसार एवं खातेदार के काश्तकारी अधिकारों के मध्यनजर सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 17/10/2006 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 04/04/2007 यथावत रखे जाते है एवं अपील संख्या 474/2021 एवं 482/2021 ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	